# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

**बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.**

नम्बर मुकदमा 15/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध) 2012\00013

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़

प्रार्थी

बनाम

श्री शंकरलाल पुत्र मघाराम जाति जाट साकिन 11 एस एल डी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर

अप्रार्थी

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से – श्री तेजकरण गहलोत अधिवक्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**आदेश** दिनांक 27.09.2018

1– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार छत्तरगढ़ ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 एसएलडी तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 32/60 किलां नं. 5 व 6 की 2 बीघा कमाण्ड भूमि जो कि खसरा गिरादवरी संवत 2036–2041 में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के निर्णय 24.11.1988 के द्वारा श्री मघाराम पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन 11 एस एल डी तहसील छत्तरगढ़ को पुख्ता आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

2– रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री तेजकरण गहलोत अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3– तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

4– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि 11 एसएलडी तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 32/60 किलां नं. 5 व 6 की 2 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 24.11.1988 के द्वारा मघाराम पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन 11 एसएलडी तहसील छत्तरगढ़ को स्मालपेच में आवंटित कर दी। जो नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 20. 3.11 विरासत एवं इन्तकाल संख्या 113 दिनांक 6.9.10 रिलीजडीड से अप्रार्थी के नाम दर्ज है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5– अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी के पिता मघाराम पुत्र लेखराम जाट को उक्त भूमि सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ के आदेश दिनांक 24.11.1988 द्वारा स्माल पेच में आवंटित की गई थी। इन्तकाल संख्या 107 आवंटी मघाराम के फौत होने पर विरासतन दर्ज की गई तथा इन्तकाल संख्या 113 जरिये रिलीजड डीड अप्रार्थी के हक में स्वीकृत किया गया, जो इन्तकाल संख्या 147 द्वारा रहन बहक एसबीबीजे शाखा छत्तरगढ़ में रखी हुई है। अप्रार्थी आवंटन के समय से लगातार काबिज काश्त है। अप्रार्थी ने भूमि को हजारों रूपये खर्च करके उपजाऊ व समतल बनाया है। जिस पर अप्रार्थी परिवार सहित काबिज है। मौके पर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

किसी प्रकार की जोहड़ पायतन न तो कभी रहा है और ना ही आज है। सिंचित क्षेत्र होने के पश्चात वहां जोहड़ पायतन भूमि का कोई महत्व नहीं रहता है। अप्रार्थी को खातेदारी सनद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी नहीं की गई बल्कि आवंटन नियमों के तहत खातेदारी सनद जारी की गई है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र मौके एवं तथ्यों के विपरीत एवं दुराशय से प्रस्तुत किया गया है। जिसे रेफरेंस के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र वेग व आधारहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6– हमने अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । मुताबिक नकल खसरा गिरदावरी संवत 2036–2041 में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। प्रश्नगत भूमि का राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत लघु पट्टी के रूप में आवंटन तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा किया गया जिसका रिकार्ड में अंकन होकर मुताबिक जमाबन्दी संवत 2065–2068 में प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के पिता के नाम गैर खातेदारी दर्ज रही। जो कि नामान्तरण संख्या 107 दिनांक 20.3.11 विरासत एवं इन्तकाल संख्या 113 दिनांक 6.9.10 रिलीजडीड से अप्रार्थी के नाम दर्ज है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा ऐसे आवंटनों को अवैध माना है। ऐसी स्थिति में आवंटन व खातेदारी अधिकार दिया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। इसलिए मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते हैं। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

7— उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष में चक 11 एसएलडी तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 32/60 किलां नं. 5 व 6 की 2 बीघा कमाण्ड भूमि की बाबत सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.1988 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8— उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.11.2018 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9— आदेश आज दिनांक 27.09.2018 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा.)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official